[2018] 13 एस. सी. आर 1286

डॉ. अश्विनी कुमार

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 193)

13 दिसंबर, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

सामाजिक न्यायः

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार लेखन याचिका यू/आर्ट। 32 संविधान के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने की मांग करना। 21 उन्हें पर्याप्त पेंशन, आश्रय, जराचिकित्सा देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रभावी कार्यान्वयन की भी मांग की। जीवन का अधिकार यू/कला द्वारा प्रदान किया गया। 21 कई शामिल हैं

अधिकार-गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार बुनियादी और मौलिक हैं-राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये मौलिक अधिकार न केवल संरक्षित हैं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए लागू और उपलब्ध कराए गए हैं-केंद्र सरकार और

राज्य सरकारों ने कला के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं। 21 , लेकिन बहुत कुछ है जिसे हासिल करने की आवश्यकता है-हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का एक समूह

संवैधानिक अधिदेश या अधिनियम के अधिदेश को पूरा नहीं करेगा एकमात्र उपलब्ध समाधान यह सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर आदेश है कि लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उन्हें लागू किया जाए और सामाजिक न्याय जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिपादित किया गया है।

संविधान को अर्थ और अधिकार दिए गए हैं-प्रारंभिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने और लागू करने के लिए प्रभावी योगदान दिया जा सके। 21 , 39 और

41 - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007। 30 और 31.

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संविधान निर्माताओं द्वारा न्याय की अवधारणा 1949 में (जब संविधान का गठन हुआ था) उतनी ही वैध थी।

विधानसभा में बहस हुई) जैसा कि आज है। लेकिन, समय बदलने के साथ, विभिन्न परिस्थितियाँ सामने आई हैं जो शायद नहीं थीं। यह 1949 में अस्तित्व में था और शायद उस समय इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई थी। बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार एक ऐसी उभरती हुई स्थिति है जिसका शायद संविधान निर्माताओं द्वारा पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया गया था। इसलिए, 1286 डी. आर.।

अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

जबकि संविधान के अनुच्छेद 39 में श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कम उम्र और इन मामलों में सार्वजनिक सहायता का संदर्भ है -

बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता और अन्य में

संविधान के अनुच्छेद 41 में अनारक्षित अभाव के मामलों में, बुजुर्गों के स्वास्थ्य या उनके स्वास्थ्य के लिए कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। अभाव के समय में और वास्तव में उनकी गरिमा और उनकी उम्र के कारण निर्वाह के लिए आश्रय। [पारस 2 और 3] [1294-बी-सी; 1295-ए-बी]

1.2 संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए। जीवन के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं, लेकिन कुछ समय के लिए न्यायालय

यह तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, जिनमें से प्रत्येक बुनियादी और मौलिक है। ये अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हैं। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि इन मौलिक अधिकारों की न केवल रक्षा की जाए बल्कि इन्हें लागू किया जाए और सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। [पैरा 44] [1308-डी-ई]

2.1 गरिमा के साथ जीने का अधिकार, वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिपादित जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इस तरह की

अधिकार को अर्थहीन बना दिया जाएगा यदि कोई वृद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं करता है अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए वित्तीय साधन हैं और इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। [पैरा 16] [1298-एफ-जी]

2.2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

स्वतंत्रता दिवस, 1995 को पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई। कार्यक्रम के परिचय में

दस्तावेज़ में, यह उल्लेख किया गया है कि संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देते हैं, जो विशेष रूप से गरीबों और निराश्रितों को लक्षित करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के साथ-साथ अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इस कार्यक्रम के शुरुआती तीन घटकों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन शामिल है।

योजना जिसे बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में जाना जाने लगा। भारत सरकार और राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश दोनों [2018] 13 एस. सी. आर.

यदि प्रशासन को पेंशन योजना को व्यवहार्य और सार्थक बनाना है तो उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। [पैरा 17 और

18] [1299 - ए-ई]

फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश

दिल्ली (1981) 1 एस. सी. सी. 608: [1981] 2 एससीआर 516; अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम। भारत संघ (2011) 4 एस. सी. सी. 454 [2011] 4 एस. सी. आर. 1057; सामान्य कारण v. संघ का भारत (2018) 5 एससीसी 1: [2018] 6 एससीआर 1; के. एस.

पुट्टास्वामी बनाम। भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569 पर भरोसा किया।

उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम. आंध्र प्रदेश राज्य (1993) 1 एससीसी 645: [1993] 1 एस. सी. आर. 594-संदर्भित।

3.1 आश्रय का अधिकार या उचित अधिकार

आवास किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। दुर्भाग्य से, जबकि इस संबंध में कुछ सकारात्मक विकास हुआ है, बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिन्हें विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो समाज के कई वर्गों में गायब है। [पैरा 21] [1300-जी-एच]

आश्रय का अधिकार "आर्थिक" के अधीन है।

3.2

राज्य द्वारा "बजट"। याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी व्यापक आदेश के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती है या राज्य की वित्तीय क्षमता की अनदेखी करने के लिए तर्क भी नहीं दिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकारों के मामलों में वित्तीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि देश के संसाधन असीमित नहीं हैं और जब राज्य को राशि खर्च करने का निर्देश देने की बात आती है, तो न्यायिक संयम आवश्यक है। [पैरा 25] [1302-जी-एच; 1303-ए]

3.3 यह एकीकृत के परिचय में उल्लेख किया गया है

2001 और 2011 में 10.38 करोड़। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 + की संख्या 2021 में बढ़कर 14.3 करोड़ और 2026 में 17.3 करोड़ हो जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुधार करना है। आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता। "क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए समर्थन

प्रदान करके उत्पादक और सक्रिय उम्र बढ़ने को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस कार्यक्रम अनुदान के तहत-डी. आर. में।

अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

वरिष्ठ नागरिकों के घरों, बुजुर्ग महिलाओं के घरों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए सहायता दी जाती है। [पैरा 26] [1303-बी-डी]

3.4

सभी के लिए और अधिकतम संभव सीमा तक उपलब्ध कराया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के लिए योजनाएं तैयार की हैं, लेकिन यह पहचानने का समय है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं ग्रामीण भारत सहित देश के कई हिस्सों में ऐसे व्यक्ति, जो अपने परिवारों के देश के अन्य हिस्सों और यहां तक कि देश के बाहर पलायन के कारण 'बेघर' हो गए हैं। जबकि इनमें से कुछ बुजुर्ग व्यक्ति निश्चित रूप से बेसहारा नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी उम्र के कारण सहायता की आवश्यकता है और वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

उनके सिर पर एक छत के लिए योगदान दें। उपयुक्त संख्या में वृद्धाश्रमों और उनकी स्थिति के अनुसार घरों के अभाव में, उन्हें खुद के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वे दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। [पैरा 27] [1303-डी-जी]

शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल टोटमे आकाशवाणी

1990 एससी 630; चमेली सिंग बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 2 एससीसी 549: [1995] 6 पूरक। एससीआर 827;

अहमदाबाद नगर निगम बनाम। नवाब खान

गुलाब खान (1997) 11 एससीसी 121: [1996] 7 पूरक।

एस. सी. आर. 548 पर भरोसा किया। 4.1 भारत सरकार ने राष्ट्रीय

2010-11 के दौरान बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्यक्रम। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

वितरण प्रणाली। राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को अलग और विशेष व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिक। [पैरा 32] [1305-बी-सी] 4.2 राष्ट्रीय कार्यक्रम अब लगभग छह या सात साल पुराना हो गया है और इसे पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा

यह केवल एक कागजी कार्यक्रम रहेगा। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करने की आवश्यकता है और भारत संघ और सभी (2018) 13 एस. सी. आर.

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रुचि लेनी चाहिए। [पैरा 35] [1305-एफ-जी]

विंसेंट पनिकुरलंगारा बनाम। भारत संघ (1987) 2 एससीसी 165: [1987] 2 एस. सी. आर. 468; उपभोक्ता शिक्षा और

अनुसंधान केंद्र बनाम। भारत संघ (1995) 3 एससीसी 42: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 626; किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (1996) 2 एससीसी 682: [1996] 1 एस. सी. आर. 884; पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला (1997) 2 एस. सी. सी. 83: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 279; नगर निगम बनाम ए. एल. फहीम मांस निर्यात (पी) लिमिटेड

(2006) 13 एससीसी 382: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 354; व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संघ बनाम। संघ

भारत (2014) 3 एस. सी. सी. 547: [2014] 4 एस. सी. आर. 10-निर्भर

पर।

फिर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 (एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम) के रूप में संसद द्वारा अधिनियमित कानून बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन को अनिवार्य करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद इस कानून के वित्तीय प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ थी। "आर्थिक" पर विचार भारत सरकार के स्तर और राज्य सरकारों के स्तर दोनों पर राज्य द्वारा बजट को कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, इसे सख्ती से लागू करने में भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वित्त की कमी का कोई बहाना नहीं हो सकता है

एमडब्ल्यूपी अधिनियम के प्रावधान। यदि संवैधानिक नहीं है तो कम से कम बुजुर्ग व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। [पैरा 45] [1308-ई-जी]

5.2 इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का एक समूह संवैधानिक जनादेश या एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के जनादेश को पूरा नहीं करेगा। वहाँ

प्रगति की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करने और उन्हें उचित आवास, चिकित्सा सुविधाएं और जराचिकित्सा डॉ. प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश का कार्यान्वयन।

अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

ख्याल रखें। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन एकमात्र उपलब्ध समाधान एक निरंतर आदेश है जो इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अपनाई गई एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथा और प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उन्हें लागू किया जाए और संविधान की प्रस्तावना द्वारा प्रतिपादित सामाजिक न्याय को अर्थ और शक्ति दी जाए। यह देखते हुए कि

उठाए गए मुद्दों का संवैधानिक महत्व, केंद्रित और शायद अधिक जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है। [पैरा 47 और

48] [1309 - सी-एफ]

और सभी राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता लाना। इसके अलावा, एन. एस. ए. पी. योजनाओं के लिए एक सामाजिक लेखा परीक्षा पर भी विचार किया गया है और सामाजिक कार्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों में एक प्रायोगिक सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए हाल ही में 30 नवंबर, 2018 को लेखा परीक्षा। [पैरा 49] [1309-एफ-जी]

7. कुछ प्रारंभिक निर्देश जारी करना उचित होगा ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने और लागू करने के लिए प्रभावी योगदान दिया जा सकेः 1. भारत संघ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा।

देश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों की संख्या के बारे में और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।

2. भारत संघ सभी राज्य सरकारों से चिकित्सा सुविधाएं और जराचिकित्सा देखभाल सुविधाएं भी प्राप्त करेगा।

जो प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते हैं।

3. भारत संघ द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर प्रचार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए

एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों और वरिष्ठ नागरिकों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों और वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना।

4. केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

30 एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम और एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को उचित निर्देश जारी करना। केंद्र सरकार को एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में, [2018] 13 एस. सी. आर. के उद्देश्यों के लिए भी समीक्षा करनी चाहिए।

एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करना राज्य सरकारों द्वारा। [पारस 50,51] [1309-एच; 1310-बी-एफ]

5. भारत सरकार को इन पर फिर से विचार करना चाहिए।

योजनाएँ और शायद अभिसरण लाने और बहुलता से बचने के लिए उन्हें संशोधित करें। विशेष रूप से, सरकार

भारत सरकार और राज्य सरकारों को बुजुर्गों को पेंशन देने पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि यह अधिक यथार्थवादी हो। बेशक, यह वित्त की उपलब्धता और भारत सरकार और राज्य सरकारों की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। [पैरा 51] [1310-जी-एच]

मामला कानून संदर्भ

[1981] 2 एससीआर 516

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2011] 4 एससीआर 1057

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2018] 6 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2017] 10 एससीआर 569

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1993] 1 एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1990 एस. सी. 630

पै

रा 22

उस पर भरोसा करें

[1995] 6 पूरक। एससीआर 827

पै

रा 23

[1996] 7 पूरक। एससीआर 548

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[1987] 2 एससीआर 468

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[1994] 6 पूरक। एससीआर 626

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[1996] 1 एससीआर 884

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[1996] 10 पूरक। एससीआर 279

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2006] 10 पूरक। एससीआर 354

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2014] 4 एससीआर 10

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2016 का सं. 193

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)]

के साथ

2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 81।

मैथ्यू चेरियन (हेल्पेज), निखिल डे (पेंशन परिषद)

सुश्री किंजल संपत, एसी।

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., जुगल किशोर गिल्डा, अधिवक्ता। जनरल, अनिल ग्रोवर, अभिनव मुखर्जी, सौरभ मिश्रा, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. ए. जी., सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रौशन तारा जसवाल, सुश्री अमिता जोसेफ, सुश्री वाणी व्यास, मोहित कौशिक, मुकेश कुमार सिंह, रवि चंद्र प्रकाश, भानु प्रिया शर्मा, आशुतोष चतुर्वेदी, अमित, सुश्री सुषमा सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, संजीव पाणिग्रही, पुरुषोत्तम शर्मा

त्रिपाठी, वी. वी. पट्टाभिराम, एस. के. गुप्ता, सुश्री माधवी दीवान,

राज बहादुर यादव, आर. आर. राजेश, शलिंदर सैनी, सुश्री स्निधा मेहरा, बी. वी. बलरामदास, डी. एल. चिदानंद, जी. एस. मक्कर, सुश्री सुहासिनी सेन, एम. पी. गुप्ता, प्रशांत रावत, सुश्री प्रिया मिश्रा, सुश्री अनिल कटियार, सुश्री अनीता शेनॉय, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, सुश्री अंशरुता माहेश्वरी, सुश्री प्रतिष्ठा विसेन, नवीन गुप्ता, सुश्री रितु रस्तोगी, सुश्री सस्मित त्रिपाठी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, जी. एम. कावूसा, एम. शोएब आलम, तपेश के. सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, वी. एन. रघुपति, लगनेश मिश्रा, परीक्षित पी. अंगड़ी, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत आर. कटनेश्वरकर,

लीशांगथेम रोशमनी ख। , सुश्री मैबाम बबीना, सुश्री अनुपमा

नगंगोम, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, मुकेश कुमार, रंजन मुखर्जी, उपेंद्र मिश्रा, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, शिबाशीष मिश्रा, चंदन कुमार मंडल, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अरुणा माथुर,

सुश्री अनुराधा अर्पुथम, अवनीश अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि, एम. नागेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, सुश्री सुजाता बागड़ी, मृत्युंजय सिंह, शुभोदीप रॉय, राजीव कुमार दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, सुश्री वैद्यति

मिश्रा, आशुतोष कुमार शर्मा, अविरल सक्सेना, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, सुश्री डिंपल नागपाल, के। वी. जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, मृणाल के. मंडल, शरण ठाकुर, विजय के. परदेशी, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, एस. मनुराज, एड. उपस्थित दलों के लिए।

डॉ. अश्विनी कुमार, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे.

1. " हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को गौरव का स्थान दिया गया है और अच्छे कारण के लिए क्योंकि यह शायद सबसे अधिक है। न्याय का महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण रूप।

2. 26 नवंबर, 2018 को संविधान दिवस पर अपने संबोधन में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

हमारे राष्ट्र निर्माण की कसौटी। हमारे द्वारा न्याय की अवधारणा

संविधान निर्माता 1949 में (जब संविधान सभा की बहस हुई थी) उतने ही वैध थे जितने आज हैं। लेकिन, समय बदलने के साथ, विभिन्न परिस्थितियाँ सामने आई हैं जो शायद 1949 में मौजूद नहीं थीं और शायद उस समय पूर्वानुमेय नहीं थीं। माननीय राष्ट्रपति ने न्याय और विशेष रूप से सामाजिक न्याय के विषय पर निम्नलिखित शब्दों में बात कीः

" प्रस्तावना में न्याय को एक आयामी के रूप में नहीं देखा गया है। इसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में निहितार्थ के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य राजनीतिक प्रक्रिया में सभी वयस्कों की समान भागीदारी और कानूनों के न्यायसंगत निर्माण और कार्यान्वयन से है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है अंतिम उन्मूलन गरीबी, आजीविका कमाने के समान अवसर और उचित मजदूरी। इस प्रकार आर्थिक, उद्यमिता और रोजगार का विस्तार

अवसर आर्थिक न्याय के उदाहरणों में से हैं।

हमारे लोगों के विविध इतिहास को देखते हुए, और असंतुलन और पदानुक्रम को देखते हुए, जो कभी-कभी हमारे अतीत को चिह्नित करते हैं, सामाजिक न्याय हमारे राष्ट्र निर्माण की एक कसौटी बनी हुई है। सबसे सरल तरीके से स्तर पर, यह सामाजिक असंतुलन को हटाने और विभिन्न समुदायों के प्रतिद्वंद्वी दावों और जरूरतों के सामंजस्य का तात्पर्य है।

और समूह। सामाजिक न्याय समानता प्रदान करने के बारे में है अवसर।

न्याय की ऐसी अवधारणा 1949 में मान्य थी और आज भी व्यापक रूप से प्रासंगिक है। फिर भी, 21 वीं सदी आई है

नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्याय की अवधारणा- राजनीतिक,

आर्थिक और सामाजिक-इसका एक लचीला मूल है लेकिन इसके बारे में नए तरीकों से सोचने की आवश्यकता है। इसे नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता है

उभरती परिस्थितियाँ-ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे संविधान निर्माताओं के अस्तित्व में होने के समय मौजूद या पूर्वानुमेय नहीं थीं।

काम करते हैं। " (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

3. बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार एक ऐसी उभरती हुई स्थिति है जिसका शायद हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया गया था। इसलिए, जबकि संविधान के अनुच्छेद 39 में श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कम उम्र और बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का संदर्भ है, वृद्ध

संविधान के अनुच्छेद 41 में आयु, बीमारी और अक्षमता और अन्य अनर्ह अभाव के मामलों में, बुजुर्गों के स्वास्थ्य या अभाव के समय उनके आश्रय और वास्तव में उनकी गरिमा और उनकी उम्र के कारण निर्वाह के लिए कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। 4. आखिरकार, उम्र हर किसी को पकड़ लेती है और कभी-कभी, यह कुछ लोगों को पूरी तरह से असहाय और दूसरों पर निर्भर बना देता है।

शारीरिक या मानसिक या दोनों। सौभाग्य से, हमारा संविधान स्वाभाविक है और यह न्यायालय दूरदर्शी है। इस संयोजन के परिणामस्वरूप कानून में पथप्रदर्शक विकास हुआ है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिसे पिछले कुछ वर्षों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में जबरदस्त महत्व और महत्व दिया गया है। वर्तमान याचिका यह एक ऐसा अवसर है जो इस न्यायालय के समक्ष बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने और लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया है-ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा मान्यता दी गई है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई दशकों की अवधि में निर्णयों की एक श्रृंखला में समझा और व्याख्या की गई है, और ऐसे अधिकार जिन्हें उभरती स्थितियों के कारण वर्षों से मान्यता मिली है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

5. याचिकाकर्ता डॉ. अश्विनी कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार। याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, ने रिट में कई प्रार्थनाएं की हैं याचिका लेकिन प्रस्तुतियों के दौरान, उन्होंने चार मुद्दों के लिए मांगी गई राहत को सीमित कर दिया। ये हैं:

1. बुजुर्गों के लिए पेंशन।

2. बुजुर्गों के लिए आश्रय।
3. बुजुर्गों के लिए जराचिकित्सा देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं।

4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 ('एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम') का प्रभावी कार्यान्वयन।

6. कार्यवाही और प्रस्तुतियों के दौरान, हेल्पएज इंडिया ने न्यायमित्र के रूप में श्री मैथ्यू चेरियन के माध्यम से हमारी सहायता की।

क्यूरी और श्री निखिल डे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। [2018] 13 एस. सी. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी हमारी सहायता की।

भारत संघ जिसने विशेष रूप से इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत संघ इसे एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं मानता है।

7. हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को उठाने का प्रस्ताव करते हैं।

लेकिन इसे उनके और विद्वान न्यायमित्र के लिए खुला छोड़ दें कि वे जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी और मुद्दे पर आंदोलन करें।

गरिमा और पर्याप्त पेंशन का अधिकार

8. यह रिकॉर्ड में आया है कि भारत संघ ने वर्गीकृत किया है

बुजुर्गों के रूप में वे जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 79 वर्ष की आयु तक एक श्रेणी से संबंधित हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के अन्य श्रेणी से संबंधित हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि पेंशन के लिए तय किया गया था

लोग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नामक एक योजना के तहत भारत संघ द्वारा 60-79 वर्ष की आयु के बीच 1,200 प्रति माह। भारत संघ द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 1500 रुपये प्रति माह की राशि निर्धारित की गई थी।

9. दिलचस्प बात यह है कि पेंशन की राशि एक दशक से अधिक समय तक तय की गई थी

2007 में नवीनतम संशोधन के साथ। याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह राशि एक मामूली राशि है और अनुच्छेद 21 के संवैधानिक अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। यदि रुपये के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक रूप से यह राशि वास्तव में कम पैमाने पर लगभग 1,122 प्रति माह है।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना एक अनुरूप स्थान रखती है

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों पर योगदान करने का दायित्व लेकिन उनके योगदान अलग-अलग हैं।

इस न्यायालय में दायर किए गए शपथ पत्र, प्रति माह 1,500 से कम से लेकर प्रति माह 1,2000 तक। याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए निर्देशों में से एक यह है कि बुजुर्गों को एक वास्तविक पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और यह उनका सुझाव है कि यह न्यूनतम मजदूरी का कम से कम आधा होना चाहिए।

11. यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, विद्वान द्वारा सक्षम रूप से समर्थित

एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वित्त आवश्यक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, विशेष रूप से कोई व्यक्ति जो वृद्धाश्रम में है, देखने में असमर्थ है। स्वयं के बाद और इसलिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता

है। यह केवल तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब एक व्यवहार्य पेंशन योजना हो जिसे ईमानदारी से लागू किया जाए और जिसका लाभ एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उठाया जा सके।

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

12. अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के चार महत्वपूर्ण फैसलों पर भरोसा रखा गया था जो मानते हैं कि

गरिमा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

13. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश

दिल्ली 1 के इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोषण, कपड़े और आश्रय शामिल हैं-इन सभी के लिए कुछ वित्त की आवश्यकता होती है। इन बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान केवल तभी किया जा सकता है जब बुजुर्गों को कुछ पेंशन प्रदान की जाए जो सार्थक हो न कि पेंशन जो 1,122 प्रति माह के बराबर हो। रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 का संदर्भ दिया गया था जो इस प्रकार हैः

" 8. लेकिन जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या जीवन का अधिकार केवल अंग या संकाय की सुरक्षा तक सीमित है या क्या यह आगे जाकर कुछ और गले लगाता है। हम सोचते हैं कि जीवन का अधिकार इसमें मानवीय
गरिमा के साथ जीने का अधिकार और वह सब शामिल है

इसके साथ जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय और उनके लिए सुविधाएँ भी आती हैं।

विभिन्न रूपों में पढ़ना, लिखना और खुद को व्यक्त करना,

स्वतंत्र रूप से घूमना और साथी मनुष्यों के साथ मिलना-जुलना। बेशक, इस अधिकार के घटकों की मात्रा और सामग्री इस बात पर निर्भर करेगी कि

देश का आर्थिक विकास, लेकिन इसमें, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार और ऐसे कार्यों और गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए जो मानव-स्व की न्यूनतम अभिव्यक्ति का गठन करते हैं।

हमारे द्वारा प्रदान किया गया)।

14. याचिकाकर्ता द्वारा अरुणा को निर्देश दिया गया था

रामचंद्र शानबाग बनाम। भारत संघ 2 और सामान्य कारण v. भारत संघ 3 जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अरुणा रामचंद्र शानबाग में रिपोर्ट के पैराग्राफ 32 में कहा गया थाः

" 32. जबकि इस न्यायालय ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मरने (आत्महत्या) का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा करने का प्रयास किया जाता है

आई. पी. सी. की धारा 309 के अनुसार आत्महत्या एक अपराध है, न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

1 (1981) 1 एससीसी 608

2 (2011) 4 एससीसी 454

3 (2018) 5 एससीसी 1 [2018] 13 एस. सी. आर.

और एक मरने वाले व्यक्ति के मामले में जो अंतिम रूप से बीमार है या स्थायी वनस्पति अवस्था में है, उसे इन परिस्थितियों में अपने जीवन के समय से पहले विलुप्त होने से इसे समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है और

ज्ञान कौर मामला अपराध नहीं है। [ज्ञान कौर बनाम। पंजाब राज्य, (1996) 2 एस. सी. सी. 648] "(हमारे द्वारा जोर दिया गया)।

15. याचिकाकर्ता द्वारा न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन द्वारा के. एस. पुट्टास्वामी बनाम में दी गई राय का भी संदर्भ दिया गया था। भारत संघ जिसमें यह देखा गया है कि इस न्यायालय के कई फैसलों ने मानव गरिमा को संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में मान्यता दी है। यह अवलोकन रिपोर्ट के पैराग्राफ 525 में किया गया था जो इस प्रकार हैः

" 525 ..... हमारे कई निर्णय मानव को मान्यता देते हैं।

मौलिक अधिकार अध्याय का एक अनिवार्य हिस्सा होने के रूप में गरिमा। उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम देखें। दिल्ली

एडमिन। , (1980) 3 पैरा 21 पर एस. सी. सी. 526, फ्रांसिस कोरली मुलिन वी. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, (1981) 1 एस. सी. सी. 608 पैरा 6,7 और 8 पर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ (1984) 3 एस. सी. सी.

161 पैरा 10, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय

विज्ञान बनाम। सच्चिकित्सा प्रसार मंडल, (2010) 3 एस. सी. सी. 786 पैरा 37, शबनम बनाम। भारत संघ, (2015) 6 एस. सी. सी. 702 पैरा 12.4 और 14 पर और जीजा घोष बनाम। भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 761 पैरा 37 पर। व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति का अपनी क्षमता की पूरी सीमा तक विकास करने का अधिकार शामिल है। और यह विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के पास स्वायत्तता हो।

बुनियादी व्यक्तिगत विकल्पों पर और प्रसार पर नियंत्रण

व्यक्तिगत जानकारी जिसका उल्लंघन किया जा सकता है

ऐसी जानकारी का अनधिकृत उपयोग। "

हमारे द्वारा)।

16. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखते हुए, अब इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिपादित जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति के पास ऐसा अधिकार नहीं है तो ऐसा अधिकार अर्थहीन हो जाएगा। अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए वित्तीय साधन और इसके लिए दूसरों पर निर्भर

रहना पड़ता है। इसी संदर्भ में याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को पर्याप्त पेंशन दी जानी चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ अपना भरण-पोषण कर सकें।

17. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी.) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो था

स्वतंत्रता दिवस, 1995 को केंद्र द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित के रूप में पेश किया गया

प्रायोजित योजना। कार्यक्रम दस्तावेज के परिचय में, यह उल्लेख किया गया है कि संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देते हैं, विशेष रूप से गरीबों और निराश्रितों को लक्षित करते हुए। का अनुच्छेद 41 संविधान राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के साथ-साथ अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। कार्यक्रम के शुरुआती तीन घटकों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसे बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के रूप में जाना जाने लगा, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस योजना को भारत सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है

प्रशासन।

18. जबकि हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर से असहमत नहीं हो सकते हैं

सक्रिय समर्थन के मुद्दे पर, हमारी राय है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए यदि वे पेंशन योजना को व्यवहार्य और सार्थक बनाना चाहते हैं। वास्तव में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. एस. ए. पी. दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें इसे लाभार्थियों तक विस्तारित करने के लिए समान या अधिक शीर्ष पर विचार कर सकती हैं।

19. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की आर्थिक क्षमता की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और सावधानी बरती जानी चाहिए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की राय में उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम में अनुच्छेद 181 और 182 में इस न्यायालय द्वारा प्रशासित। आंध्र राज्य

'प्रदेश' जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य की आर्थिक क्षमता सीमित है और आम तौर पर यह राज्य की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर एक मामला है। यह शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में था लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारित सिद्धांत वर्तमान याचिका पर समान रूप से लागू होता है। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" 181. बच्चे/नागरिक के 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार का अर्थ यह भी है कि एक नागरिक राज्य को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का आह्वान करने का अधिकार है

उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर। ऐसा कहकर, हम अनुच्छेद 41 को भाग IV से भाग 4 में स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं।

भाग 3-हम अनुच्छेद 21 से प्राप्त शिक्षा के अधिकार की सामग्री को स्पष्ट करने के लिए केवल अनुच्छेद 41 पर भरोसा कर रहे हैं। हम विश्वास नहीं कर सकते कि कोई भी राज्य यह कहेगा कि उसे अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर भी अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिना कहे चला जाता है कि की सीमाएँ

आर्थिक क्षमता, आम तौर पर, भीतर के मामले हैं।

राज्य की व्यक्तिगत संतुष्टि।

182. उपरोक्त कथन के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को पढ़कर, यह न्यायालय इस देश के प्रत्येक नागरिक को अदालतों से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा ताकि वह राज्य को अपनी पसंद की शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर कर सके। मुफ्त शिक्षा का अधिकार है

केवल बच्चों के लिए उपलब्ध है जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

इसके बाद, शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व उसकी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के अधीन है और

विकास। वास्तव में, हम कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं। फ्रांसिस सी. में इस न्यायालय द्वारा इस पहलू पर पहले ही जोर दिया जा चुका है।

मुलिन वी. प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली [फ्रांसिस सी. मुलिन वी. प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, (1981) 1 एससीसी

608] ... . " (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि भारत सरकार की एन. एस. ए. पी. योजना के लिए कुल बजट 1,9975 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पेंशन को मुद्रास्फीति के सूचकांक से जोड़ना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि प्रदान की गई पेंशन एक कल्याणकारी उपाय है।

20. हालाँकि ऐसा हो सकता है, फिर भी इस मुद्दे को मानवीय पहलू से भी देखा जाना चाहिए।

आश्रय का अधिकार

21. लगभग दो दशक हो गए हैं जब इस न्यायालय ने आश्रय के अधिकार या उचित आवास के अधिकार को किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक के रूप में मान्यता दी है। दुर्भाग्य से, जबकि इस संबंध में कुछ सकारात्मक विकास हुआ है, बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिन्हें विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे समाज के कई वर्ग गायब हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने आश्रय के अधिकार पर जोर दिया और कई निर्णयों का उल्लेख किया।

अश्विनी कुमार बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

जिनमें से पर्याप्त आश्रय के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं, जो हम मानते हैं कि बुजुर्गों पर भी लागू होता है।

22. शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल ने इसे पूरा किया।

न्यायालय ने भोजन, कपड़े और आश्रय के अधिकार को किसी भी सभ्य समाज की गारंटी के रूप में मान्यता दी। जहाँ तक आश्रय का अधिकार है

संबंधित, यह देखा गया कि उचित होने का अधिकार है आवास। यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में इस प्रकार रखा गया थाः

" 9. मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पारंपरिक रूप से तीन के रूप में स्वीकार किया गया है- भोजन, कपड़े और आश्रय। जीने का अधिकार है किसी भी सभ्य समाज में गारंटी। यह अंदर ले जाएगा

भोजन का अधिकार, कपड़ों का अधिकार, अधिकार

सभ्य वातावरण और उचित आवास के लिए

रहने के लिए। "(हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

23. चमेली सिंह बनाम में एक अधिक पूर्ण चर्चा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य 'जिसमें इस न्यायालय ने एक अर्थ में,

आश्रय के अधिकार की आवश्यकताएँ। रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आश्रय के अधिकार में रहने के लिए पर्याप्त जगह शामिल होगी, लेकिन इसका मतलब केवल किसी के सिर पर छत का अधिकार नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रहने के अधिकार के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में उपयोग किए जाने पर आश्रय के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत माना जाना चाहिए। यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में इस प्रकार रखा गया थाः

" 8. किसी भी संगठित समाज में मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य की पशु आवश्यकताओं को पूरा करके सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए, आश्रय के अधिकार में पर्याप्त रहने की जगह, सुरक्षित और सुरक्षित स्थान शामिल हैं।

सभ्य संरचना, स्वच्छ और सभ्य परिवेश, पर्याप्त

प्रकाश, शुद्ध हवा और पानी, बिजली, स्वच्छता और अन्य सड़क आदि जैसी नागरिक सुविधाएँ ताकि उनके दैनिक व्यवसाय तक आसानी से पहुँचा जा सके। इसलिए आश्रय के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि

केवल अपने सिर पर छत का अधिकार लेकिन सभी का अधिकार

उन्हें एक इंसान के रूप में जीने और विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा। आश्रय के अधिकार को जब जीने के अधिकार के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में उपयोग

किया जाता है तो इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत माना जाना चाहिए। जैसा कि निदेशक सिद्धांतों में आदेश दिया गया है,

> राज्य को बाध्य माना जाना चाहिए -
>
> इसे अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करें, निश्चित रूप से इसकी आर्थिक स्थिति के अधीन
>
> बजट "। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

' ए. आई. आर 1990 एस. सी. 630

(1996) 2 एससीसी 549 [2018] 13 एस. सी. आर.

24. अंत में, अहमदाबाद नगर निगम बनाम। नवाब खान गुलाब खान ने इस अदालत में चमेली सिंह का उल्लेख किया और उनका अनुसरण किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमारे दायित्वों का संदर्भ दिया गया था। याचिकाकर्ता ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर दृढ़ता से भरोसा किया और

प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के अलावा, हमें आश्रय के अधिकार के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। रिपोर्ट के पैराग्राफ 12 और 25 का संदर्भ दिया गया था जो इस प्रकार हैः

" 12. अनुच्छेद 19 (1) (ई) भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। जीवन का अधिकार है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 (1) में घोषणा की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक चीजें शामिल हैं।

सामाजिक सेवाएँ। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 11 (1) में कहा गया है कि वाचा के राज्य पक्ष इस बात को मान्यता देते हैं कि हर किसी को अपने और अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ों, कपड़ों, कपड़ों

याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी व्यापक आदेश के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती है या राज्य की वित्तीय क्षमता की अनदेखी करने के लिए तर्क भी नहीं दिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी स्तर पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मौलिक मामलों में 8 (1997) 11 एससीसी 121 डी. आर.

अधिकार, वित्तीय मुद्दे पीछे हट जाते हैं लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि देश के संसाधन असीमित नहीं हैं और जब अदालत को राशि खर्च करने का निर्देश देने की बात आती है, तो न्यायिक संयम आवश्यक है।

26. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाल ही में संशोधित एकीकृत कार्यक्रम का उल्लेख किया। यह उल्लेख किया गया है कि

इस कार्यक्रम का परिचय कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या 1951 में 1 करोड़ 98 लाख से बढ़कर 2001 में 7 करोड़ 7 लाख और 2011 में 1 करोड़ हो गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 + की संख्या 2021 में बढ़कर 14.3 करोड़ और 2026 में 17.3 करोड़ हो जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। "क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए समर्थन प्रदान करके उत्पादक और सक्रिय उम्र बढ़ने को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के घरों, बुजुर्ग महिलाओं के घरों को चलाने और उनके रखरखाव के लिए अनुदान दिया जाता है आदि।

27. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आश्रय का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है और इसलिए लोगों को आश्रय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ग्रामीण भारत सहित देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो अपने परिवारों के देश के अन्य हिस्सों और यहां तक कि देश के बाहर पलायन के कारण 'बेघर' हो जाते हैं। जबकि इनमें से कुछ बुजुर्ग व्यक्ति निश्चित रूप से बेसहारा नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी उम्र के कारण सहायता की आवश्यकता है और वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं। उनके सिर पर एक छत के लिए योगदान दें। उपयुक्त संख्या में वृद्धाश्रमों और उनकी स्थिति के अनुसार घरों के अभाव में, उन्हें खुद के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वे दुर्घटनाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं

घटनाएँ।

स्वास्थ्य का अधिकार

28. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि चिकित्सा सुविधाओं और जराचिकित्सा देखभाल को उचित महत्व नहीं दिया जाता है जिसके वे हकदार हैं। वह.

प्रस्तुत किया कि, मोटे तौर पर, यह वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें युवा व्यक्तियों की तुलना में अधिक बार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है और यदि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, तो यह [2018] 13 एस. सी. आर. के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

29. विन्सेंट पनिकुरलंगारा बनाम। भारत संघ का यह न्यायालय विशेष रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने संविधान के अनुच्छेद 21 का संदर्भ दिया और कहा कि इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। वास्तव में, अनुच्छेद 21 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के कुछ अनुच्छेदों से अपनी जीवन सांस लेता है। विशेष रूप से, संविधान के अनुच्छेद 39,41 और 42। हालांकि ये अनुच्छेद सीधे बुजुर्गों के स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब वे पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा का उल्लेख करते हैं, तो इसमें बुजुर्गों को शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के पैरा 16 में इस प्रकार कहा गया थाः

16. ..... " यह इस देश में सभी का मौलिक अधिकार है, जो इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 को दी गई व्याख्या के तहत सुनिश्चित किया गया है।

फ्रांसिस मुलिन मामले में [फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम

प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, [(1981) 1 एस. सी. सी. 608] मानव गरिमा के साथ जीने के लिए, शोषण से मुक्त। अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार अपना जीवन प्राप्त करता है।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से सांस लें और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41 के खंड (ई) और (एफ)

और 42 और कम से कम, इसलिए, इसमें श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा और दुर्व्यवहार के खिलाफ बच्चों की कम उम्र की सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वस्थ तरीके से और विकास के लिए अवसर और सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियाँ, शैक्षिक सुविधाएँ, काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत।

हमारे द्वारा प्रदान किया गया)।

30. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम में व्यक्त किया गया था। भारत संघ (अनुच्छेद 25) 1 0 और किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम। (पैरा 10) 1 1।

31. पंजाब राज्य में बनाम। मोहिंदर सिंह चावला

(पैराग्राफ 4) 1 2, नगर निगम बनाम। ए. एल. फहीम मांस निर्यात (पी) लिमिटेड

1 (1996) 2 एस. सी. सी. 682 12 (1997) 2 एससीसी 83 डी. आर.

32. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि भारत सरकार ने 2010-11 के दौरान बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अलग और विशिष्टता प्रदान करना है। आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा।

33. भारत संघ ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ जारी हैं और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को रातोंरात प्राप्त किया जा सकता है।

34. याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के कुछ सकारात्मक घटक हैं लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है या देश के कुछ जिलों में पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए अंतरालों में से एक यह है कि सरकारी या निजी अस्पतालों में जराचिकित्सा देखभाल के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या या विशिष्ट जराचिकित्सा केंद्रों के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये विवरण देश के सभी 719 जिलों के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

35. हम भारत संघ के दृष्टिकोण की पूरी तरह से सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि अब राष्ट्रीय कार्यक्रम

लगभग छह या सात साल पुराना है और इसे उचित समय पर लागू किया जाना चाहिए।

गंभीरता से, अन्यथा यह केवल एक कागजी कार्यक्रम ही रहेगा। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करने की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत संघ और सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रुचि लेंगे।

कार्यक्रम।

माता-पिता और वरिष्ठों का रखरखाव और कल्याण

36. जबकि याचिकाकर्ता ने बुजुर्गों सहित सभी के लिए उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया, जैसे कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार और पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और जराचिकित्सा देखभाल का अधिकार, याचिकाकर्ता ने इन अधिकारों के अस्तित्व के लिए वैधानिक प्रावधानों पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही संविधान को एक विस्तृत अर्थ नहीं दिया जाना था, लेकिन ऐसे वैधानिक अधिकार हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत बुजुर्गों द्वारा लागू किए जा सकते हैं और वह है माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 (एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम)।

37. याचिकाकर्ता ने अपने तर्क को साबित करने के लिए एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के कुछ प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से, उन्होंने हमारे एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 19 पर ध्यान देना जो वृद्धाश्रमों की स्थापना से संबंधित है और प्रत्येक राज्य सरकार को देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना और रखरखाव करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक वृद्धाश्रम में 150 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास है जो गरीब हैं। धारा 19 इस प्रकार हैः

19. वृद्धाश्रमों की स्थापना

आवश्यक, चरणबद्ध तरीके से, प्रत्येक में कम से कम एक से शुरू ऐसे घरों में कम से कम एक सौ पचास वरिष्ठ नागरिक जो गरीब हैं, उन्हें समायोजित करने के लिए जिला।

2. राज्य सरकार इसके लिए एक योजना निर्धारित कर सकती है -

उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार जो आवश्यक हैं ऐसे घरों के निवासियों के लिए चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के साधन।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धन" का अर्थ है कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसके पास समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वयं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

38. याचिकाकर्ता और विद्वान न्यायमित्र का निवेदन है कि हालाँकि 300 से अधिक वृद्धाश्रम स्थापित किए गए हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों में, गरीब बुजुर्गों की बड़ी आबादी को देखते हुए कई और लोगों की आवश्यकता है। यह कहा गया था कि कुछ

जराचिकित्सा देखभाल सहित पर्याप्त सुविधाओं के बिना घर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। दूसरे शब्दों में, कई उदाहरणों में, एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित कानून का पालन केवल अक्षर में किया जा रहा है और निश्चित रूप से भावना में नहीं।

39. हमारा ध्यान एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 20 की ओर भी आकर्षित किया गया जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। सरकार

राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित अस्पतालों या अस्पतालों को जहां तक संभव हो, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की इस धारा द्वारा वृद्ध रोगियों के लिए सुविधाओं को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार हैः

20. वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि -

आई. सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित सरकारी अस्पताल या अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराएंगे।

जहाँ तक संभव हो; वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतारों की व्यवस्था की जाए।

ii.

iii.

दीर्घकालिक, अंतिम और अपक्षयी के उपचार के लिए सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगों का विस्तार किया जाता है;

iv. पुरानी वृद्धावस्था रोगों और वृद्धावस्था के लिए अनुसंधान गतिविधियाँ

विस्तारित; जराचिकित्सा रोगियों के लिए प्रत्येक में निर्धारित सुविधाएँ हैं।

वी.

जिला अस्पताल विधिवत एक चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में

जराचिकित्सा देखभाल में अनुभव।

40. याचिकाकर्ता और विद्वान न्यायमित्र का निवेदन है कि कानून और इसके कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम 2007 में लागू हुआ और तब से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं कि बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और जराचिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाए।

41. याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि तर्क के लिए यह मानते हुए कि एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधान लागू हैं और

जैसे उन्हें लागू किया जाना चाहिए, बुजुर्गों को न केवल संविधान द्वारा बल्कि एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम द्वारा भी गारंटीकृत अपने मानवाधिकारों के बारे में पता नहीं है। यह बताया गया है कि एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 21 में राज्य सरकारों से सार्वजनिक मीडिया के सभी माध्यमों के माध्यम से उक्त अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय का भी आदेश है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

42. याचिकाकर्ता का निवेदन है कि [2018] 13 एस. सी. आर. के प्रयासों के बावजूद एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों को शायद ही कोई प्रचार दिया गया है।

हेल्पएज इंडिया जैसे कई संगठन, बुजुर्गों के आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ जराचिकित्सा देखभाल के अधिकार केवल एक अधिकार बने हुए हैं।

पाइप सपना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार को एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने के लिए एक व्यावहारिक योजना के साथ आना चाहिए ताकि बुजुर्ग अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सकें।

चर्चा.

43. याचिकाकर्ता, विद्वान न्यायमित्र और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सहित अन्य लोगों को सुनने के बाद, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका बुजुर्गों के मौलिक अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। यह शायद इस विषय पर पहली ऐसी याचिका है और दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ता की दलीलें पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 और अन्य पर आधारित हैं।

संवैधानिक प्रावधानों का समर्थन करना। 44. हम स्वीकार करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए जीवन के अधिकार को एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। जीने का अधिकार, हम

स्वीकार करते हुए, इसमें कई अधिकार शामिल हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों से चिंतित हैं, जिनमें से प्रत्येक बुनियादी और मौलिक है। याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए ये अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार हैं। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि इन मौलिक अधिकारों की न केवल रक्षा की जाए बल्कि इन्हें लागू किया जाए और सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए।

45. याचिकाकर्ता ने, वैकल्पिक रूप से, एक समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जिसका नाम है कि भले ही संवैधानिक अधिकार लागू करने योग्य न हों। "आर्थिक बजट" में कठिनाइयों के कारण भी एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के रूप में संसद द्वारा अधिनियमित कानून संरक्षण और

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों का प्रवर्तन। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद कानून के वित्तीय प्रभाव से पूरी तरह से अवगत थी। इस कानून को बनाते समय भारत सरकार के स्तर और राज्य सरकारों के स्तर दोनों पर राज्य द्वारा "आर्थिक बजट" पर विचार किया जाना चाहिए था। इसलिए, एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने में भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वित्त की कमी का कोई बहाना नहीं हो सकता है। संक्षेप में, यदि नहीं संवैधानिक होने पर कम से कम बुजुर्ग व्यक्तियों के वैधानिक अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

46. प्रस्तुतियों के दौरान जो आम सहमति बनी कि इस जनहित याचिका को एक जनहित याचिका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही लिया जाना चाहिए।

विरोधी मुकदमेबाजी। इस समझौते के साथ हमने इसे विद्वान डॉ. के पास रखा था।

47. हम चर्चाओं और प्रस्तुतियों के दौरान सामने आए सर्वसम्मति के दृष्टिकोण से सहमत हैं और हमारी राय है कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का एक समूह संवैधानिक जनादेश या एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के जनादेश को पूरा नहीं करेगा। बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार उपलब्ध कराने और उन्हें उचित आवास, चिकित्सा सुविधाएं और जराचिकित्सा प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश के कार्यान्वयन में प्रगति की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है ख्याल रखें। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन एकमात्र उपलब्ध समाधान एक निरंतर आदेश है जो इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में अपनाई गई एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथा और प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उन्हें लागू किया जाए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

संविधान में प्रस्तावना द्वारा अभिनिर्धारित अर्थ और दाँत दिए गए हैं।

48. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की बिल्कुल भी आलोचना नहीं कर रहे हैं। न ही इस जनहित याचिका का उद्देश्य किए जा रहे या विचार किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करना है। फिर भी, हमारा विचार है कि उठाए गए मुद्दों के संवैधानिक महत्व को देखते हुए, केंद्रित और शायद अधिक जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है।

49. इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि सभी पहलुओं पर एक मूल्यांकन अध्ययन पर विचार किया गया है

सर्वोत्तम प्रथाओं के उपयोग के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

और सभी राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता लाना। इसके अलावा, एन. एस. ए. पी. योजनाओं के लिए एक सामाजिक लेखा परीक्षा भी है।

21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों में सामाजिक लेखापरीक्षा पायलट शुरू करने के लिए 30 नवंबर, 2018 को सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए विचार और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

50. इसे आगे बढ़ाने के लिए, हमारी राय है कि कुछ प्रारंभिक निर्देश जारी करना उचित होगा ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों को पहचानने और लागू करने के लिए प्रभावी योगदान किया जा सके।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

क्रियाएँहमारे समक्ष पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए उनके अधिकारों के उत्साही समर्थन के लिए उनकी सराहना करते हुए

कुछ समय के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करें:

भारत संघ देश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों की संख्या के बारे में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा।

और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। भारत संघ भी सभी राज्यों से प्राप्त करेगा।

सरकार चिकित्सा सुविधाएं और जराचिकित्सा देखभाल सुविधाएं जो प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और एक फाइल करते हैं

इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट।

संघ द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर

भारत में स्थिति रिपोर्टों में विस्तार से, एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार करने और वरिष्ठ नागरिकों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों और भारत के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

वरिष्ठ नागरिक।

एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 30 भारत सरकार को एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और निष्पादित करने के लिए राज्य सरकारों को उचित निर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है। केंद्र सरकार को इस संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

और एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को उचित निर्देश जारी करना। इसके साथ-साथ, केंद्र सरकार को एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में, कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के उद्देश्यों के लिए समीक्षा करनी चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा एम. डब्ल्यू. पी. अधिनियम।

ऊपर उल्लिखित कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

तुलनात्मक रूप से दिनांकित। यह सही समय है कि भारत सरकार इन योजनाओं पर फिर से विचार करे और शायद उनमें बदलाव करे ताकि अभिसरण लाया जा सके और बहुलता से बचा जा सके। विशेष रूप से, भारत सरकार और राज्य सरकारों को पेंशन के अनुदान पर पुनर्विचार करना चाहिए।

बुजुर्ग ताकि यह अधिक यथार्थवादी हो। बेशक, यह वित्त की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। भारत सरकार और राज्य की क्षमता

सरकारें।

कुमार वी। भारत और ओआरएस का संघ।

1311

[मदन बी. लोकुर, जे.]ई-रिपोर्ट भारत संघ द्वारा सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से 31 जनवरी, 2019 को या उससे पहले दायर किया जाना चाहिए।

स्थिति की प्राप्ति पर आगे की कार्यवाही के लिए ers

बी.

((ग) 2015 की सं. 81

आदेश

निर्देश, डब्ल्यू. पी. देखें। (ग) 2016 की सं. 193-डॉ.

भारत का नाइयन और ओआरएस।

एस.

निर्देश जारी किए गए।